

15/9/2024 प्रार्थी/अनावेदक की ओर से की गयी पत्रों की
 स्थिति प्रार्थना पत्र पेश किया जाने पर पत्रावली
 पेशी के ली गई। प्रार्थना पत्र के साथ प्रकरण के
 माननीय न्यायालय अथवा उच्च अदालत एवं पद
 शाली अथवा अदालत सीमा के निर्णय दिनांक
 06.09.21 की उमागिर प्रतीति पेश की।
 माननीय न्यायालय ने न्यायालय हाद के
 निर्णय को अकार्य किये जाने का निर्णय
 जारी किया है, सिद्धांत न्यायालय हाद
 के निर्णय की पालना नहीं की जा सकती।
 नोट: तहसीलदार खेतरी को निर्णय की
 पालना नहीं करने हेतु लिखा जावे।
 पत्रावली में परमाणु के कोर अर्पवाही
 अर्पित नहीं है। नोट: पत्रावली पेश
 शुक्रा व दर्प नष्ट से कर होकर
 काबिल दर्ज है।

उपस्थित अधिकारी, खेतरी :

